न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 34/2016 अपील

1.श्री देवराज पिता परमेश्वर जाट निवासी मिण्डोलिया नाबालिग द्वारा प्राकृतिक संरक्षक परमेश्वर पिता खाना जाट निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा	बनाम	श्रीमती गीता पत्नी बालूराम जाट निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
–अपीलार्थी		– रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व इन्तकाल नं. 585 स्वीकृत दिनांक 02.03.2016

उपस्थित –
1. श्री कुणाल ओझा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 24.03.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील विरूद्व इन्तकाल नं. 585 स्वीकृत दिनांक 02.03.2016 , दिनांक 01.09.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण सं. 585 सर्वथा विधि विरूद्व है तथा तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित कृषि भूमि के संबंध में श्रीमती मांगी बनाम खाना बिकाव को निरस्त किये जाने का एक वादपत्र न्यायालय अति. जिला न्यायाधीश शाहपुरा में विचाराधीन हैं। विवादित भूमि के संबंध में मु. मांगी के उत्तराधिकारियों ने उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका प्रस्तुत की हुई हैं। विवादित कृषि भूमि के संबंध में न्यायालय अति0 जिला कलक्टर में भी प्रकरण सं. 194/2007 विचाराधीन हैं । इसलिए विवादित कृषि भूमि के संबंध में दोनों न्यायालयों में वाद पत्र विचाराधीन हैं । इसलिए वाद पत्र के निस्तारण में दौराने राजस्व रिकार्ड में परिर्वतन नहीं किया जा सकता और यह इन्तकाल विधि विरूद्व खोला गया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेण्ट की पुत्रवधु मिण्डोलिया ग्राम पंचायत की सरपंच है। जिसने अपने प्रभाव का दुरूपयोग करके यह गलत इन्तकाल खुलवा लिया है जो विधि विरूद्व होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलाण्ट नाबालिग है तथा उसके पिता प्राकृतिक संरक्षक ड्राईवर हैं जो बाहर रहते हैं। दिनांक 04.08.2016 को विवादित कृषि भूमि का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

इन्तकाल रेस्पोडेण्ट के पक्ष में खोला गया हैं, कि जानकारी अपीलाण्ट के संरक्षक को हुयी। प्रस्तुत अपील को परिसीमा काल में मानने के लिए अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल 585 दिनांक 02.03.2016 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.09.2016 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया ।

आज दिनांक 27.03.2017 को अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता का अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि के संबंध में मु. मांगी के उत्तराधिकारियों ने उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका प्रस्तुत की हुई हैं। विवादित कृषि भूमि के संबंध में न्यायालय अति0 जिला कलक्टर में भी प्रकरण सं. 194/2007 विचाराधीन हैं । इसलिए विवादित कृषि भूमि के संबंध में दोनों न्यायालयों में वाद पत्र विचाराधीन हैं । इसलिए वाद पत्र के निस्तारण में दौराने राजस्व रिकार्ड में परिर्वतन नहीं किया जा सकता और यह इन्तकाल विधि विरूद्व खोला गया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया । बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा में मांगी पुत्री रघुनाथ जाट बनाम खाना पुत्र रघुनाथ जाट के मध्य एक वाद बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का दर्ज होकर प्रकरण सं. 194/07 जैरकार हैं । इसके साथ ही एक वाद विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु मु. मांगी व अन्य बनाम खाना वगैरह का न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश शाहपुरा में दर्ज होकर प्रकरण सं. 54/2009 जैरकार हैं । खाना पुत्र रघुनाथ जाट द्वारा एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.08.2007 को गीता पत्नी बालूराम जाट के पक्ष में करवाया । इस विक्रय पत्र के आधार पर नामा. सं. 235 दायर होकर दिनांक 5.9.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

2007 को ग्राम पंचायत मिण्डोलिया द्वारा अस्वीकृत किया गया हैं । इस नामान्तरकरण सं. 235 की अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के यहां प्रस्तुत की गयी । बाद सुनवाई अपील सं. 1/2013 निर्णय दिनांक 18.06.2015 से तहसीलदार शाहपुरा को रिमाण्ड की गयी । खाना पुत्र रघुनाथ जाट द्वारा एक भेंट पत्र देवराज पुत्र परमेश्वर जाट के पक्ष में दिनांक 28.5.2014 को पंजीयन करवाया गया । इस पंजीयन दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण सं. 506 स्वीकृत होकर वादग्रस्त भूमि देवराज पुत्र परमेश्वर जाट के नाम दर्ज हुई ।

वादग्रस्त आराजियात के संबंध में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश शाहपुरा में जैरकार प्रकरण सं. 54/2009 में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 10 सिविल प्रक्रिया का प्रस्तुत होकर सुनवाई में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.2015 से स्वीकार कर वाद की कार्यवाही राजस्व न्यायालय के वाद सं. 194/07 के निर्णय तक स्थगित करने का आदेश पारित किया गया हैं । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के अपील प्रकरण सं. 1/2013 निर्णय दिनांक 18.06.2015 में तहसीलदार शाहपुरा को रिमाण्ड के आदेश प्रदान किये गये , जिसके अनुसरण में तहसीलदार शाहपुरा ने कमांक /एलआर/2016/251 निर्णय दिनांक 19.2.2016 से वादग्रस्त भूमि को खातेदार देवराज पिता परमेश्वर जाट नाबा. सरपरस्त पिता परमेश्वर जाट 3/4 के स्थान पर श्रीमती गीता पत्नी बालूराम जाट 3/4 के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये । इस आदेश के अनुसरण में पटवारी हल्का मिण्डोलिया ने वादग्रस्त आराजियात को नामा. सं. 585 में गीता पत्नी बालूराम जाट 3/4 के नाम दायर किया, जिसे तहसीलदार शाहपुरा ने दिनांक 2.03.2016 को स्वीकृत किया हैं ।

वादग्रस्त आराजियात के संबंध में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश शाहपुरा में विक्रय पत्र को निरस्त करने का प्रकरण एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा में विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण के जैरकार होते हुए भी खाना पिता रघुनाथ जाट द्वारा दिनांक 21.08.2007 को वादग्रस्त आराजियात के विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया गया तथा पुनः खाना पिता रघुनाथ जाट द्वारा इसी वादग्रस्त आराजियात के संबंध में भेंटपत्र का देवराज पुत्र परेमश्वर जाट के पक्ष में दिनांक 28.5.2014 को पंजीयन करवाया गया। उक्त दोनों पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर नामा0 सं0 233 व 506 में कार्यवाही की गयी हैं एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के अपील प्रकरण सं. 1/13 निर्णय दिनांक 18.6.2015 के अनुसरण में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पारित आदेश कमांक/एलआर/2016/251 दिनांक 19.02.2016 से नामा. सं. 585 दिनांक 2.3.2016

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

स्वीकृत किया गया जो त्रुटिपूर्ण हैं ।

इस प्रकार अपीलाधीन नामा0 सं. 585 में अंकित ग्राम मिण्डोलिया के आराजी नं. 1131, 1259, 1261 के संबंध में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश शाहपुरा में विक्रय पत्र को निरस्त करने का प्रकरण जैरकार होते हुए एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा में वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का जैरकार होते हुए भी पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 21.08.2007 से नामान्तरकरण सं. 233 में सरपंच ग्राम पंचायत मिण्डोलिया ने दिनांक 5.9.2007 को निर्णय पारित किया एवं पंजीबद्ध भेंटपत्र दिनांक 25.08.2014 से नामा. सं. 506 स्वीकृत किया जो विधि विरूद्व हैं एवं तहसीलदार शाहपुरा ने नामा0 सं. 585 दिनांक 2.3.2016 को स्वीकृत किया गया है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य हैं । अपीलाधीन वादग्रस्त आराजियात के संबंध में तहसीलदार शाहपुरा उपरोक्त दोनों न्यायालय में जैरकार कार्यवाही एवं निस्तारण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर न्यायालयों के निर्णय अनुसार नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावे। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील विरूद्व ग्राम मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा के नामान्तरकरण सं. 585 पर तहसीलदार शाहपुरा के स्वीकृत आदेश दिनांक 02.03.2016 के कम में अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती हैं एवं नामा. सं. 585 निर्णय दिनांक 2.3.2016 को खारिज किया जाता हैं एवं ग्राम मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा के नामान्तरकरण सं. 585 में अंकित आराजियात के संबंध में तहसीलदार शाहपुरा को निर्देश दिये जाते हैं कि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश शाहपुरा एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा में जैरकार कार्यवाही एवं निस्तारण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर न्यायालयों के निर्णय अनुसार नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावे । निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/3/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा